HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 12032/2026
URN: CW / 4238U / 2026

Mukesh S/o Late Shri Bapulal Bhilala, Aged About 26 Years, R/o Agar, Tehsil Biarora, Police Station Malawar, District Rajgarh (M.p.) (At Present In Central Jail Kota) Through His Brother Pahalwan Bhilala S/o Late Shri Bapulal Bhilala, Aged About 24 Years R/o Agar, Tehsil Biaroa, Police Station Malawar, District Rajgarh (M.p.) 465669

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The Secretary Home, Secretariat, Jaipur (Raj.)
2. The District Collector And District Magistrate, Baran.
3. Superintendent Central Jail, Kota.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Vishram Prajapat
For Respondent(s) : Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

17/07/2026

यह रिट याचिका याची/बंदी की ओर से अपने पिता श्री बापूलाल की मृत्यु दिनांक 30.0.2026 को होने से मृत्यु पश्चात् के क्रियाकर्मों में शामिल होने के आधार पर आपात (emergent) पैरोल पर रिहा (release) किये जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थनापत्र पर याची/बंदी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

याची/बंदी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याची को धारा 363, 366–ए, 376(2)(एन), 376(3) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4, 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम

के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर अधिकतम 20 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है अभियुक्त के पिता की मृत्यु दिनांक 30.06.2026 को हो चुकी है, जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र उनकी ओर से पेश किया गया है। यह प्रार्थनापत्र याची/बंदी को उसके पिता की मृत्यु के पश्चात् होने वाले क्रियाकर्म आदि के लिए आपात (emergent) पैरोल पर रिहा (release) किये जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया है।

बहस के दौरान याची/बंदी के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया है कि याची के पिता का अस्थि विसर्जन हो चुका है। वे ऐसा कोई अन्य कारण दर्शित नहीं कर पाए हैं कि याची को आपात पैरोल पर रिहा करने की आवश्यकता किस कारण से है। उनका यह भी तर्क है कि याची/बंदी को उसके पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल प्रदान की गई थी।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रकट किया कि याची के पिता का अस्थि विसर्जन हो चुका है, ऐसी स्थिति में आपात पैरोल स्वीकृत किए जाने का कोई आधार नहीं है, याचिका निरस्त की जाए।

हमने प्रस्तुत तर्क–वितर्क पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

चूंकि बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता याची ने स्वीकार किया है कि याची के पिता की मृत्यु 30.06.2026 को हुई है तथा उनका अस्थि विसर्जन हो चुका है। वे ऐसा कोई अन्य कारण भी दर्शित नहीं कर सके हैं जिसके लिए याची को आपात पैरोल की आवश्यकता रही हो। ऐसी स्थिति में यह याचिका सारहीन हो चुकी है एवं इसी आधार पर निरस्त की जाती है।

(SHUBHA MEHTA),J

141/AJAY KUMAR SINGHAL/712